कमलनाथ सरकार ने 'बिन मांगे' ओबीसी वर्ग को दिया 'मोती'

- आलोक कुलश्रेष्ठ

मध्यप्रदेश की आधी आबादी (अन्य पिछड़ा वर्ग की जनता) इन दिनों खासी खुश है। इस वर्ग की प्रसन्नता लाजमी है। राज्य की कमलनाथ सरकार ने बिना किसी हल्ले-गुल्ले और प्रचार-प्रसार के बहुत धीरे से इस वर्ग के हक में बड़ा फैसला कर दिया है। प्रदेश की जनसंख्या साढ़े सात करोड़ से ज्यादा है। इनमें चार करोड़ की आबादी ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के भाई-बहिनों की है।

अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय-आबादी के मान से आरक्षण की सीमा को बढ़ाये जाने की मांग लंबे समय से कर रहा था। कोई ढाई दशक पहले ओबीसी वर्ग के आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत तय हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी वर्ग के आरक्षण संबंधी एक निर्णय के आलोक में दिग्विजय सिंह सरकार में 1994 में ओबीसी आरक्षण का अधिनियम पारित किया गया था। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में होने वाली भर्तियों के लिए पारित किये गये इस अधिनियम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षण सीमा सुनिश्चित करने के साथ ही ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान हुआ था।

मध्यप्रदेश सरकार के निर्णय को लेकर ओबीसी वर्ग में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। माना गया था आबादी के हिसाब से ओबीसी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया गया। दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए रामजी महाजन की अगुवाई में एक आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में तमाम तर्क और तथ्यों के साथ ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की थी।

दिग्विजय सिंह की सरकार 1993 से 2003 तक रही। दस सालों तक मसले पर राजनीतिक उठा-पटक चलती रही। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने कहा था, पुनः सरकार में आये तो ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाकर 27 करेंगे। साल 2004 में निजाम बदल गया। दिग्विजय सिंह सरकार चली गई। मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार का पदार्पण हुआ। उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग से वे आती हैं। ओबीसी वर्ग बड़ी पैरोकारों में उनकी गिनती होने की वजह से समाज बेहद गदगद था। पर्याप्त समय मिलने के बावजूद उन्होंने ओबीसी वर्ग की मांग की तरफ देखा तक नहीं। कोर्ट के एक निर्णय के मद्देनजर उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ा। संयोगवश उनकी जगह सीएम बनाये गये बाबूलाल गौर (यादव) भी ओबीसी ही वर्ग से आते थे। मगर बात नहीं बन पायी।

मध्यप्रदेश की राजनीति से लेकर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी ओबीसी वर्ग की महती भूमिका रही है। संभवतया यही वजह रही कि भाजपा ने सरकार में आने के बाद एक के बाद एक तीन मुख्यमंत्री इसी वर्ग से मध्यप्रदेश को दिये। गौर के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद संभाला। वे 13 साल के लगभग सीएम रहे। ओबीसी वर्ग मांग करता रहा। उसे झुनझुना पकड़ाया जाता रहा। आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी तमाम आश्वासनों के बावजूद नहीं हुई। ओबीसी वर्ग इससे खासा निराश हुआ।

ओबीसी वर्ग के हक और हुकूक को लेकर बातें तो बहुत हुईं मगर नतीजा शून्य बना रहा। ओबीसी वर्ग के आरक्षण सीमा में बढ़ोतरी संबंधी मांग की झंडाबरदारी करने वाले अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंच गये कि भाजपा ने राज्य की 'सबसे बड़ी कुर्सी' (मुख्यमंत्री पद) ओबीसी वर्ग के नुमाइंदे को सौंपकर यह यह मान लिया है कि 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के लिए उसकी झोली में 'बस इतना ही है।' कुल मिलाकर ओबीसी की यह जायज मांग कि उन्हें राज्य में जनसंख्या के मुताबिक 27 फीसदी आरक्षण दिया जाए, हाशिए में चली गई। ओबीसी को हमेशा यही लगता रहा कि उनके साथ समुचित-सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है।

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार राज्य में कुल 92 अन्य पिछड़ा वर्ग जातियां हैं, इनमें मुस्लिम समुदाय के तहत 38 जातियां भी शामिल हैं। इन सभी को नौकरियों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अपेक्षित भागीदारी मिले, इसके लिए लंबे समय से प्रयास चल रहे थे, लेकिन विभिन्न राजनीतिक कारणों एवं सामाजिक दबावों के तहत पूर्व सरकारें ऐसा कोई फैसला नहीं कर पा रही थीं - जिससे ओबीसी वर्ग को न्याय मिल पाये। मध्यप्रदेश कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव के अपने वचन पत्र में स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि उसे सरकार में आने का अवसर मिला तो वह सबसे पहले - ओबीसी की आरक्षण की सीमा को 14 से बढ़ाकर 27 करेगी।

मप्र कांग्रेस ने जो कहा, सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी सरकार ने वो किया। लोकसभा चुनाव के पूर्व राज्य में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का बिल विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कराया। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। पूछा भी इतने आरक्षण के बाद सरकार नौकरियां कहां से देगी? सरकार ने जवाब दिया राज्य शासन व निगम मंडलों में रिक्त पड़े ढाई लाख पदों पर यह सरकार नियुक्तियां करेगी। नियुक्तियों का समुचित लाभ ओबीसी को मिलेगा। विपक्ष का विरोध केवल औपचारिक था, क्योंकि भीतर से सभी को लग रहा था कि यह एक जायज मांग है, जिसे पूरा किया जाना चाहिए।

कमलनाथ सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए भी 10 फीसदी आरक्षण अलग से लागू कर दिया है। मध्यप्रदेश में कुल आरक्षण अब 73 फीसदी हो गया है। प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए 16 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 20 फीसदी आरक्षण पहले से लागू है। ऐसे में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 27 फीसदी करने को न्यायालय में चुनौती दी गई है। इसका फैसला जो भी आए, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि सामाजिक न्याय के तकाजे के तहत देश के कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण की 50 फीसदी सीमा से ज्यादा आरक्षण अपने राज्यों में लागू कर दिया है। कुछ लोग कमलनाथ सरकार के इस फैसले को वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं, अगर ऐसा है तो भी इससे ओबीसी की सामाजिक न्याय की मांग की पुष्टि ही होती है। वैसे भी आरक्षण को केवल वोट बैंक के चश्मे से देखना सही नहीं होगा। कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग की वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर वास्तव में इंसाफ किया है।

ओबीसी वर्ग की आरक्षण सीमा बढ़ाये जाने से जुड़ा एक शाश्वत सत्य यह भी है कि इस वर्ग को नई सरकार (कमलनाथ सरकार में) उस तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ा, जैसा कि वह पिछले 25 सालों से करता आ रहा था। ओबीसी वर्ग के आरक्षण सीमा में बढ़ोतरी का झंडा उठाकर आगे बढ़ते रहने वाले दामोदर यादव ने बहुप्रतीक्षित मांग पूर्ण हो जाने पर बेहद सटीक प्रतिकिया दी है। उन्होंने कहा है, 'आरक्षण की मांग पूरी कराने के लिए ट्रेनें रोकना पड़ती हैं। पटरियां उखाड़ने के भी दृश्य पैदा होते हैं - लेकिन मध्यप्रदेश में हमें अपना वाजिब हक पाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। 'श्री यादव' बिन मांगे मोती दिये जाने' पर मुक्त कंठ से मुख्यमंत्री कमलनाथ का कोटि-कोटि आभार प्रकट कर रहे हैं।

बिना किसी शोर-शराबे और अभूतपूर्व प्रचार की गुजाइंश वाले ऐतिहासिक निर्णय (ओबीसी वर्ग की आरक्षण की सीमा को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिये जाने संबंधी फैसले) पर मुख्यमंत्री कमलनाथ का नजरिया पूरी तरह से जुदा है। वे इस फैसले का श्रेय लेने की बजाय, अत्याधिक विनम्रता से यही कह रहे हैं - 'आरक्षण - मैंने नहीं दिया - मैंने तो न्याय किया है।'

मुख्यमंत्री श्री नाथ का यह भाव दर्शाता है - सचमुच, 'मध्यप्रदेश में बदलाव का दौर गति पकड़ चुका है।'

(प्रस्तुति: मनुज फीचर सर्विस)

नोट: मनुज फीचर सर्विस में छपे लेखों के विचार लेखक के अपने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यहां प्रकाशित सामग्री का उपयोग गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए करने हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मनुज फीचर सर्विस का उल्लेख अवश्य करें।